



SSR DOCUMENT

2022-23 To 2018-19

CRITERION - 5

Student Support and Progression

Metrics No. 5.1.4

Document Title:

Proof for implementation of guidelines of
statutory/regulatory boodies

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code - 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code - C-35178



Email - heggpciphos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112

कार्यालय प्राचार्य, शहीद भगत सिंह
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम् (म.प्र.)

NAAC द्वारा B+ ग्रेड में प्रमाणित
ईमेल: heggpciphos@mp.gov.in
महाविद्यालय कोड: 3203
फोन/फैक्स: 07576-220112
वेबसाइट: www.gpgcpipariya.nic.in



OFFICE OF THE PRINCIPAL, SHAHEED BHAGAT SINGH
GOVERNMENT P. G. COLLEGE
PIPARIYA, DIST-NARMADAPURAM (M.P.)

Accredited by NAAC with B+ Grade
E-mail: heggpciphos@mp.gov.in
COLLEGE CODE: 3203
PHONE /FAX: 07576-220112
Website: www.gpgcpipariya.nic.in

Ref No. 1440/Est/SBSGPGCP/2024

Pipariya, Date 19.06.2024

DECLARATION

This is to declare that the information, reports, true copies of supporting documents, numerical data etc. furnished in this file as supporting documents are verified by IQAC and found correct.


IQAC Coordinator
Coordinator (IQAC)
Internal Quality Assurance Cell
S. B. S. Govt. P. G. College
PIPARIYA (M. P.)


Principal
PRINCIPAL
Shaheed Bhagat Singh Govt. P.G. College
PIPARIYA (M. P.)

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code – 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code – C-35178

Email – heggpciphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112



INDEX

Proof for implementation of guidelines of statutory/regulatory boodies

S. No.	Detail	Page Number
1	Internal committee	1
2	Minutes of Mahila Utpeedan Evam Antrik Parivad Samiti	2-8
3	Anti raging Documents	9-14
4	Minutes of Offline gradience cell	15-18



**Internal Committees of Anti-Ragging and
Women Harassment**

4.	अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग कमेटी	1. डॉ.एल.एन.मालवीय 2. श्री के.के.रायत 3. डॉ. महेन्द्र चौकसे 4. डॉ.इमरान खान 5. डॉ. सतीश पिपलोदे 6. श्रीमती निम्बा कनकराज 7. डॉ. अम्बिका सिंह 8. डॉ. ब्रजेश चौधरी	प्रभारी सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य	महाविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाये रखने हेतु समय समय पर कार्यवाही करें।
----	--------------------------------	---	--	--

5.	महिला उत्पीडन एवं आंतरिक परिवाद समिति	1. डॉ. श्रीमती आर.आर.राठौर 2. श्री महेन्द्र चौकरो 3. श्रीमती रश्मि पटेल	प्रभारी सदस्य सदस्य	
----	--	---	---------------------------	--



**Minutes of Mahila Utpeedan evam aantarik
pariwaad samiti 2022-23**

पृष्ठ संख्या

महिला उत्पीड़न एवं निवारण समिति की बैठक आज दिनांक 13/01/23 में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रमेश के. मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न थे।

1. महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ का प्रचार
2. महाविद्यालय में कोई उत्पीड़न न हो।

समिति

डॉ. रमेश के. मेहरा	प्राचार्य
डॉ. रश्मि पटेल	प्रभारी
स्वाती त्रिपाठी	सदस्य
महेन्द्र चौकसे	सदस्य
श्रीमती माया राजपूत	स्थानीय नागरिक निवासी

Scanned with



Minutes of Mahila Utpedan evam aantarik
pariwaad samiti 2021-22

Shaheed Bhagat Singh शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पिपरिया

दिनांक २५-३-२०२१

महिला उत्पेदन एवं निवारण समिति

आज दि २५-३-२०२१ को समिति को बैठक
३:३० PM पर प्राप्ति कक्ष में आयोजित हुई
विगत तीन महीने में समिति के समक्ष
कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, इस संबंध में
समिति द्वारा महाविद्यालय में सतत निगरानी
रखी जाती है। बैठक में निम्नोक्त सरसम
उपस्थित रहे।

१. श्रीमती अमिता कश्यप
२. श्रीमती मोहिनी मेडलई (अशासकीय सरसम.)
३. डॉ. महेन्द्र चौधरी
४. डॉ. रविंद्र पटेल

प्रमाणित



Date: / / Page no: _____

श्री. स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया म.प्र.

9-12-2020

महिला अपांडन एवं निवारण समिति

आग रि 9-12-2020 को समिति को
हैक प्राप्ति कल में अपरह तीन वने आपोजित
को गई जिसमें समिति के सदस्य कोर
मापला दगे रहे हुआ है इस लेखेद्य में
समिति द्वारा महाविद्यालय में सपत निगरानी
रखी गली है- हैक में निम्नोक्ति सरस्य
उपस्थित रहे ।

- ① श्रीमती अमिता कस्तुरे
- ② श्रीमती मोहिनी मंडकड़े (अशासकीय सदस्य)
- ③ डॉ. महे-ड चौकसे
- ④ डॉ. श्रीमती रश्मि पटेल



Minutes of Mahila Utpedan evam aantarik
pariwaad samiti 2020-21

दि. 9-9-2020

सा. रमनाकोतर महाविद्यालय पिपरीया में
महिला उत्पेदन एवं निवारण समिति

आज दि. 9-9-2020 को समिति की बैठक
आचार्य कक्षा में अपराह तीन बजे आयोजित
की गई जिसमें समिति के सभ्य विगत
आठ माह में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है
इस संबंध में समिति द्वारा महाविद्यालय में
सबत निगरानी रखी जाती है। बैठक में
निम्नलिखित व्यक्त उपस्थित रहे।

1. श्रीमती अमरा कसूटे
2. श्रीमती माहिनी मेहरोड़ा (अशासकीय सचिव)
3. डॉ. मेहेन्द्र चौकस
4. श्री. श्रीमती वरिष्ठ पटेल
- 5.

29/09/2020

सा. रमनाकोतर



Minutes of Mahila Utpedan evam aantarik
pariwaad samiti 2019-20

डा. रत्नलाल शर्मा महाविद्यालय पिपरिया म.प्र.

दिनांक 24-12-19

(महिला उत्पेदन एवं आंतरिक परिवाद समिति)

आज दि 24-12-19 को समिति को 3:30 बजे
समाप्त शास्त्र निगाह में अपराध 3:30 बजे
आयोगित को गई मिलने समिति द्वारा निघार
विपरीति विचार गथा समिति के समक्ष कोहि मामल
की वही हुआ है समिति द्वारा महाविद्यालय में
इस संबंध में सवाल निगरानी की गयी है
इस घटक में निम्नलिखित सरम्भ उपरिचय
है।

पुनरी - श्रीमती अमिता कस्तूर

अनरस्थ - डा. श्रीमती शोभा मरीरिया

अनरस्थ - श्रीमती निरुपा कुनकराम

पुनरी

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code - 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code - C-35178

Email - hegpgcpiparos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112



Page no: _____

विधालय पिपरिया म.प्र.

दिनांक 23-9-19

रवे निवारण समिति)

श. दि. 23-9-19 को उक्त समिति को
समापन शास्त्र विभाग में अपरान्ह 3-30
को आमो गिता को गई, जिसमें समिति द्वारा
विचार विमर्श किया गया। समिति के समक्ष कोई
मात्रता दर्ज नहीं हुआ है। समिति द्वारा महाविद्यालय
में इस संबंध में सलाह निगरानी को रखी
है।

इस ठेके में समिति निम्नोक्ति सरस्य
उपस्थित रहे।

प्रश्न - श्रीमती अमिता उस्तूर

सरस्य - कु. रेखा पयासी

सरस्य - श्रीमती सेगोला उदार

प्राचार्य
डा. स्वात होसर महाविद्यालय
विषय: वि. होशंगाबाव



ANTI-RAGGING DOCUMENTS

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
रातपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 893/89/आउशि/शा-5'अ'/2022
प्रति,
गोपाल, दिनांक 30/06/2022

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय-शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम एवं समाप्ति- Zero Tolerance Policy.

संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग बल्लभ भवन, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 330/48/सोसी/2022/अडतीस, भोपाल दिनांक 12.05.2022

- 0 -

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2022-23 के लिये जारी प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत को कठिना 24.2 का अवलोकन करें। रैगिंग की संदर्भ में यूजीसी के अधिनियम क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।

अतः प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय को निर्देशित किया जाता है कि समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम एवं समाप्ति हेतु Zero Tolerance Policy के अन्तर्गत ठोस कदम उठाये जायें। समस्त महाविद्यालयों में एंटी रैगिंग सेल का गठन किया जाये एवं संबंधित अधिकारियों के मोबाईल नंबर सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

प्रमाणक 894/89/आउशि/शा-5'अ'/2022
प्रतिनिधि

(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यरूप अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल दिनांक 30/06/2022

1. शिक्षा संचालक जननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
2. शिक्षा अधिकार संचालक मुख्य अधिकारी मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. शिक्षा संचालक, अनुदान, उच्च शिक्षा मंत्रालय, रातपुड़ा भवन, भोपाल।
4. शिक्षा संचालक अशासकीय (निजी) उच्च शिक्षा संचालनालय, रातपुड़ा भवन, भोपाल।
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यवाही हेतु प्रेषित।

740
509



कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

1/3

क्रमांक 1224/248/आउशि/शा-5'अ'/2022
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/10/2022

- 1 कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 2 प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय- शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम के संबंध में।

संदर्भ- सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र D.O.No.1-15/2021(ARC),
Date 16 September, 2022

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रैगिंग के संदर्भ में सचिव, यू.जी.सी. के D.O.No.
1-15/2021(ARC), Date 16 September, 2022 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अवलोकन करने का
कष्ट करे।

अतः प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों को
निर्देशित किया जाता है कि रैगिंग की रोकथाम के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी
दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सलग्न उपरोक्तानुसार

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० धीरेंद्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल दिनांक 10/10/2022

पृ क्रमांक 1225/248/आउशि/शा-5'अ'/2022
प्रतिलिपि

- 1 निज सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म प्र)
- 2 स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल (म प्र)
- 3 निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा म प्र सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 4 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- 5 दिशय कार्यस्थ अधिकारी (आई टी) उच्च शिक्षा सचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



डॉ. अनिल कुमार शर्मा
जं. आर. आर. गौतम
ने के. के. शर्मा
(R.P.A.)
11/10/22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक/D-333/छा0क0/र0र0/2021
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 17.08-2021

प्राचार्य,
 रामरत लखन्य महाविद्यालय
 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

विषय - उत्तमतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक लेखन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया

संज्ञात्मक की हार्दिक शुभकामनाएं।

विद्यार्थीगत निवेदन है कि नये शिक्षा सत्र 2021-22 का शुभारंभ हो चुका है इसी परिप्रत्येक उत्तमतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक लेखन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अधिनियम 2009 के अनुसार विभिन्न समितियों का गठन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जानी है। एवम् अधिनियम 2009 की समस्त जानकारी यूजीसी की वेबसाइट www.ugac.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी यूजीसी को भेजवाते हुए उसकी एक प्रति अगोस्त्यरकरकर्ता कार्यालय को भेजवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद



महदीय

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 17.08-2021

क्रमांक/D-333/छा0क0/र0र0/2021
 प्रति,

1. सर्वोच्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बरकतउल्ला जकर भवन नई दिल्ली 110002 (एनपी शैक्षणिक क्षेत्र) का और मुख्यालय।
2. सर्वोच्च मान्य समस्त शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक लेखन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली (एनपी शैक्षणिक क्षेत्र) का और मुख्यालय।
3. उत्तमतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक लेखन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली (एनपी शैक्षणिक क्षेत्र) का और मुख्यालय।
4. उत्तमतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक लेखन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली (एनपी शैक्षणिक क्षेत्र) का और मुख्यालय।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली (एनपी शैक्षणिक क्षेत्र) का और मुख्यालय।
6. प्रमाणित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली (एनपी शैक्षणिक क्षेत्र) का और मुख्यालय।
7. कर्तव्यपूर्ण प्रति।

Mishra
 11/8/2021

अधिकाता, छात्र कल्याण
 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

4. प्राचार्य, उत्तमतर शिक्षण संस्थान

5. कार्यालय प्रति।

(हस्ताक्षर) *[Signature]*
 शिक्षण संस्थान

प्रभारी प्रभार्य

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code - 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code - C-35178

Email - hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112



गोपनीय

---कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला होशंगाबाद---

क्रमांक-पुअ/होश/जिविशा/532/4 /2020

दिनांक-16/11/2020

प्रति,

श्री शिवेंद्र जोशी,
अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस),
अनुभाग पिपरिया।

विषय - उच्च संस्थाओं में रैगिंग रोकने बाबत मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में पारित निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र के पालन में समिति के गठन के संबंध में।
संदर्भ:- कार्या0 प्राचार्य शास0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया के पत्र क्र/1875/स्था /शामपि/2020 दिनांक 29.10.2020 एवं पत्र क्र/1878/रै.निस./शामपि/2020 दिनांक 29.10.2020।

—000—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उपरोक्त विषयांतर्गत उच्च संस्थाओं में रैगिंग रोकने बाबत मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र 887/2009 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2009 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र/क्र/डी233/छा.क./रै.रो./2020 भोपाल दिनांक 17.9.2020 के पालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया हेतु श्री शिवेंद्र जोशी, अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) पिपरिया को निम्नानुसार समितियों के पद के दायित्व सौंपे जाते हैं जो मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे:-
(क) रैगिंग निरोधक समिति सदस्य एवं (ख) रैगिंग निरोधक दस्ता सदस्य

पुलिस अधीक्षक
होशंगाबाद

प्रतिलिपि -

1. प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया, म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस अधीक्षक
होशंगाबाद

3/10/2020
3.7.21
4000
23.11.2020
1024
23/10/2020

(श्री एन.पी. मालवीय)
शिक्षण प्रभारी

प्रभारी प्राचार्य

प्रभारी प्राचार्य
O/c प्राचार्य



कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया (म.प्र.)

महाविद्यालय कोड: 3203
ईमेल: hegpgcpiphos@mp.gov.in

NAAC द्वारा B+ ग्रेड में मूल्यांकित

फोन/फैक्स: 07576-220112
वेबसाइट: www.gpgcpipariya.nic.in

क्र. 1929/ रै.नि.स/शामपि/18

पिपरिया दिनांक 09.08.18

कार्यालयीन आदेश

01. उच्चशिक्षा संस्थाओं में रैगिंग रोकने बावत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र.-887/2009 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2009 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र क्र.-8No.F.30/UGC/CRO/ARM/16 Date 16.06.2016 के पालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये इस शिक्षण संस्था स्तर पर निम्न दो समितियों तत्काल प्रभाव से गठित की जाती है।
02. निम्न दोनों समितियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी।
03. समितियों-

(क) रैगिंग निरोधक समिति

- | | | | |
|-----|---------|---|--|
| 01. | अध्यक्ष | - | संस्था प्राचार्य |
| 02. | सदस्य | - | जिला प्रशासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि |
| 03. | सदस्य | - | पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि |
| 04. | सदस्य | - | अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मीडिया का प्रतिनिधि-
श्री अमित मंडलोई, दैनिकभास्कर संवाददाता |
| 05. | सदस्य | - | अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्राध्यापक-
डॉ.आर.जी.पटैल, प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र |
| 06. | सदस्य | - | अशासकीय संस्थान जो युवावर्ग के विकास के लिये कार्य कर रहे हों, का प्रतिनिधि-
श्री आलोक पुरी, रोटैरियन, इतवारा बाजार पिपरिया |
| 07. | सदस्य | - | पालकगण का प्रतिनिधि-
प्रवेश उपरांत |
| 08. | सदस्य | - | वरिष्ठ विद्यार्थी (छात्रसंघ अध्यक्ष)- |
| 09. | सदस्य | - | नये प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी-
प्रवेश उपरांत |

(ख) रैगिंग निरोधक दस्ता-

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 01. | सदस्य | - | संस्थान प्रमुख द्वारा मनोनीत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक-
डॉ.श्रीमती पुष्पा राय, प्राध्यापक, हिन्दी विभाग |
| 02. | सदस्य | - | संस्थान प्रमुख द्वारा अशैक्षणिक अमले से मनोनीत-
मुख्यलिपिक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया |
| 03. | सदस्य | - | जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि। |
| 04. | सदस्य | - | पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि। |

पृ. क्रमांक 1930/ रै.नि.स/शामपि/18

प्रतिनिधि-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुड़ा भवन-5, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय गृहविज्ञान महाविद्यालय होशंगाबाद।
4. कार्यालय प्रति।

अटी ६ सी वॉल ६ / D & Data 17 11\Currentprofile\shyaram\adpip2011.doc/ 610 /

-51-
प्राचार्य
शा. प्रशासकीय महाविद्यालय
पिपरिया, दिनांक 09.08.18

प्राचार्य
शा. प्रशासकीय महाविद्यालय
पिपरिया (म.प्र.)

Email - hepgcpiphos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112



Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code - 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code - C-35178

Email - hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112



प्रतिवेदन

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शिकायत एवं सुझावों के संधारण हेतु महाविद्यालय प्राचार्य एवं शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा स्थापित शिकायत पेटी में शिकायत एवं सुझाव का प्रतिमाह के प्रथम कार्य दिवस पर सुचारु रूप से निराकरण किया जाता है।

अतः आज दिनांक 02-01-2023 को निम्न 03 शिकायतों का निराकरण किया गया।

शिकायत प्रकोष्ठ समिति

General Grievance-

1. श्री बसंत निंगवाल
2. श्रीमती मधुबाला मारु

Exam Grievance-

1. डॉ. रश्मि पटेल
2. श्री ब्रजकिशोर गुप्ता
3. श्री महेश सायनेर
4. श्री राकेश मेहरा स्थायीकर्म

Seen

PRINCIPAL
Shaheed Bhagat Singh Govt. P.G. College
PIPARIYA (M. P.)

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code - 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code - C-35178

Email - hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112



प्रतिवेदन

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शिकायत एवं सुझावों के संघारण हेतु महाविद्यालय प्राचार्य एवं शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा स्थापित शिकायत पेटी में शिकायतें एवं सुझावों का प्रतिमाह के प्रथम कार्य दिवस पर सुचारु रूप से निराकरण किया जाता है।

अतः आज दिनांक 01.03.2023 को निम्नलिखित शिकायतों का निराकरण किया गया।

शिकायत प्रकोष्ठ समिति

General Grievance-

1. श्री बसंत निंगवाल
2. श्रीमती मधुबाला मारु

Exam Grievance-

1. डॉ. रश्मि पटेल
2. श्री ब्रजकिशोर गुप्ता
3. श्री महेश सावनेर
4. श्री राकेश मेहरा स्थायीकर्मी

प्रचार्य
श.भ.सिंह शास. स्नात. महाविद्यालय
पिपरिया